

लोक शिक्षण सवालनालय
मध्यप्रदेश

क्र.0/अध्या.संवर्ग/ए/सवि/059/2008/ 245

भोपाल, दिनांक 27/9/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| सं क्र | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था | कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जायक क्र. एवं दिनांक | संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जायक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम |
|--------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मो इरशाद खान (विकलांग) अध्यापक शा. मावि बेलगढा जिला-ग्वालियर | जनपद पंचायत गितरवार जिला-ग्वालियर जा.क्र.निरंक, दि. निरंक | जनपद पंचायत खनियाधाना जिला-शिवपुरी जा.क्र.1177, दि. 17.07.08 शा. क उमावि खनियाधाना |
| 2 | श्रीमती राध्या जैन अध्यापक शा. उमावि तगोडिया अरार जिला-शाजापुर | जिला पंचायत शाजापुर जिला-शाजापुर जा.क्र.5273, दि. 22.09.08 | जिला पंचायत इंदौर जिला-इंदौर जा.क्र. 8215, दि. 23.09.08 शा. हाईस्कूल बारोली |
| 3 | श्रीमती एमएल साहू सहा.अध्यापक शा. क.प्रावि सिराली जिला-हरदा | जनपद पंचायत खिरकिया जिला-हरदा जा.क्र.938, दि. 15.05.08 | नगर पालिका परिषद इटारसी जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 532, दि. 22.09.08 शा. क.प्रावि नई गरीबी लाईन |
| 4 | श्रीमती ममता श्रीवारतव सहा अध्यापक शा. प्रावि मोडिया जिला-रायसेन | जनपद पंचायत बेगमगज जिला- रायसेन जा.क्र.1232, दि. 01.09.08 | नगर पालिक निगम सागर जिला-सागर जा.क्र.248, दि. 06.08.08 शा. प्रावि शनिचरी शा. प्रावि चकराघाट शा.प्रावि परकोटा |
| 5 | श्रीमती रेखा वर्मा अध्यापक शा. बालक मावि कोदरिया जिला-इंदौर | जनपद पंचायत लोअम्बेडकर नगर, (महू) जिला इंदौर जा.क्र.1605, दि. 08.07.08 | जनपद पंचायत बैरशिया जिला-गोपाल जा.क्र. 8153, दि. 26.09.08 शा. हाईस्कूल सोहाया |

संविलियन की शर्तें --

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही कार्यरत निकाय द्वारा कार्ययुक्त हो सकेंगे ।



4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम 2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम 2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम 4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीकृत होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीय की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाचक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

M
27/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27/9/08

पृष्ठा क्र०/अध्या संवर्ग/ए/संवि/059/2008/ 246
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पार्षद मध्यप्रदेश।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

M
27/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./संशो./84/2008/ 247

भोपाल, दिनांक 29/9/08

:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के संशोधन आदेश क्र./शि.क./एडी/अजिनि.संवि./60/2008/204-205, दिनांक 22.09.08 के स.क्र. 12 पर अंकित श्रीमती शांति विश्वकर्मा अध्यापक (गणित) शा.उमावि सीधीखुर्द जिला-सीधी को नगर पालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल के अन्तर्गत शा. हाईस्कूल पुतलीघर के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी।

उक्त के प्रकाश में एतद् द्वारा उल्लेखित आदेश के स.क्र.12 के कॉलम-4 में अंकित शा. हाईस्कूल पुतलीघर के स्थान पर शा.हाईस्कूल विद्याविहार पढा जाए।

शेष आदेश यथावत् रहेगा।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र./शि.क./एडी/अध्या.संवर्ग/संवि./संशो./84/2008/ 248
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 29/9/08

1. कलेक्टर, जिला-सीधी एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, सीधी एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल जिला-भोपाल मध्यप्रदेश।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी जिला-सीधी मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संकुल प्राचार्य शा.उमावि मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित- श्रीमती शांति विश्वकर्मा अध्यापक (गणित) शा.उमावि सीधीखुर्द जिला-सीधी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./81/2008/

249

भोपाल, दिनांक

29/9/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| स.क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था | कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक | संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम |
|--------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कु. निलिमा इवनाती, सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.शाला बेरडी, सोंसर जिला-छिंदवाडा | जनपद पंचायत सोंसर जिला-छिंदवाडा जा.क्र.443, दि.03.07.07 | जनपद पंचायत प्रभात पट्टन जिला-बैतूल. जा.क्र.1828, दि.05.09.08 शा.मा.शाला इटावा शा.प्रा.शाला इटावा शा.प्रा.शाला झालमउ |
| 2 | श्रीमती सुषमा शर्मा, सहायक अध्यापक शा.क.प्रा. उमावि सारंगपुर जिला- राजगढ़ | नगर पालिका परिषद् राजगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र.642, दि.26.07.08 | जनपद पंचायत हरदा जिला-हरदा जा.क्र.2001, दि.18.08.08 शा.मा.शाला कमताड़ा शा.प्रा.शाला महाल शा.प्रा.शाला बेड़ी |
| 3 | श्रीमती सरोजना हिंगोटिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. ओलम्बा, (खातेगांव) जिला-देवास | जनपद पंचायत खातेगांव जिला-देवास जा.क्र.1408, दि.05.09.08 | जनपद पंचायत इंदौर जिला-इंदौर जा.क्र.2592, दि.07.08.08 शा.मा.वि. बेगमखेड़ी |
| 4 | सुश्री बेला कोल, शा.प्रा.वि. देवरीकला (रामनगर) जिला-सतना. | जनपद पंचायत रामनगर जिला-सतना जा.क्र. क्यू दि.03.06.06 (उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होने पर) | जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला-शहडोल जा.क्र.280, दि.06.06.06 शा.प्रा.वि. सूखा (उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होने पर) |
| 5 | श्रीमती अनिता बलसोरा राठोर अध्यापक शा.मा.वि. मकोडिया रुण्डी (सैलाना) जिला-सतना. | जनपद पंचायत सैलाना जिला-सतना जा.क्र.3432, दि.01.09.08 | नगर पालिका निगम इंदौर जिला-इंदौर जा.क्र.965, दि.21.09.08 शा.मा.वि. मंदवाग |

me

Q

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | श्रीमती मंजुला भगत, अध्यापक शा.मावि छर्च पोहरी जिला-शिवपुरी | जनपद पंचायत पोहरी जिला-शिवपुरी जा.क्र.711, दि.22.08.08 | जनपद पंचायत कुण्डम जिला-जबलपुर क्र.1893, दि.11.09.08 शा.मावि देहरीकला, कुण्डम |
| 7 | श्रीमती गमता पाटीदार, सहायक अध्यापक शा.कन्या प्रावि करनावद जिला-देवास | नगर पंचायत परिषद् करनावद जिला-देवास जा.क्र.क्यू, दि.29.07.08 | जनपद पंचायत तराना जिला-उज्जैन जा.क्र.1948, दि.17.07.08 शा. क.प्रावि कचनारिया |
| 8 | श्रीमती संगीता शर्मा, अध्यापक शा.माशाला कैथलाय जिला-शाजापुर. | जनपद पंचायत गो. बडोदिया जिला-शाजापुर जा.क्र.1414, दि.29.07.08 | जनपद पंचायत देवास जा.क्र.4441, दि.30.08.08 शा. मा.वि. मेढकी चांदना, राजोदागांव |

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही कार्यरत निकाय द्वारा कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जाच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति गानगीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



27/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Order_FN.81

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 3. संबंधित जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
 5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 6. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मध्यप्रदेश।
 7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


29/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिगि संवि./82/2008/

251

भोपाल, दिनांक

29/9/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| स.क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था | कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक | संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम |
|--------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती अनामिका जोशी, अध्यापक शा.उमावि पानीगांव जिला-देवास | जनपद पंचायत कन्नौद जिला-देवास जा.क्र.1361, दि. 13.08.08 | जिला पंचायत इंदौर जिला-इंदौर जा.क्र.7756, दि.09.09.08 शा.क.हाईस्कूल मानपुर. |
| 2 | श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला, अध्यापक शा.पूर्व मावि खरमसेड़ा जिला-सतना | जनपद पंचायत अगरपाटन जिला-सतना जा.क्र.819, दि.11.08.08 | जनपद पंचायत जवेरा, जिला-दमोह जा.क्र.376, दि.13.08.08 शा.मावि कनपुरा शा.हाईस्कूल खमरिया शा.नवीन मावि दुगानी |
| 3 | बेबी पद्मिनी पाठक (पण्ड्या) सहायक अध्यापक, शा.क.प्रावि कांगसी (सैलाना) जिला-रतलाम | जनपद पंचायत सैलाना जिला-रतलाम जा.क्र.2352, दि.23.06.08 | जनपद पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र.2531, दि.18.09.08 शा.प्रा.वि. देवराखेड़ी(बोलासा) |
| 4 | श्रीमती अर्चिता वर्मा, अध्यापक शा.मावि बम्हौरी जिला-दमोह | जनपद पंचायत दमोह जिला-दमोह जा.क्र.4847, दि.17.07.08 | जनपद पंचायत रहली जिला-सागर जा.क्र.1267, दि.06.09.08 शा.नवीन मा.शाला खैरा (रहली) |
| 5 | श्रीमती शोभा सिन्हा, सहायक अध्यापक शा.प्रावि अरनियों जिला-देवास | जनपद पंचायत सोनकच्छ जिला-देवास जा.क्र.451, दि.19.08.08 | जनपद पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र.2331, दि.27.08.08 शा.प्रावि भंवरी |
| 6 | श्रीमती गीनाक्षी टेम्भूर्ण, सहायक अध्यापक, शा.प्रावि. बेगमपुरा जिला-उज्जैन | नगर पालिक निगम, उज्जैन, जिला-उज्जैन जा.क्र.3470, दि.16.09.08. | जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर, जा.क्र.4215, दि.30.08.08 शा.प्रावि. निदावली |


संविलियन की शर्त -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।



2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही कार्यरत निकाय द्वारा कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम 4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में रवीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जाच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



27/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

गोपाल, दिनांक 29/9/08

पृष्ठा. क्र0/श.क./एडी/अजिनि संवि /82/2008/ 252
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
 3. संबंधित जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
 4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
 5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 6. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मध्यप्रदेश ।
 7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


27/9/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./एडी/परस्पर/अजिनि संवि./78/2008/ 253
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/9/08

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
सतपुडा-भवन,
भोपाल (म.प्र.) ।

विषय :- आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में अध्यापक संवर्ग की महिला, विकलांग एवं परस्पर आवेदकों का अन्तर्जिला संविलियन बावत् ।

---00---

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं से अध्यापक संवर्ग सहायक अध्यापकों के द्वारा परस्पर/महिला अन्तर्जिला संविलियन चाहा गया है ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.04.2006 में उल्लेखित ज्ञाप दिनांक 08.11.2005 एवं 21.12.2005 में दिये गये निर्देश/आदेश के अनुक्रम में विभाग के ज्ञाप दिनांक 08.11.2005 की कण्डिका-6 के अनुसार परस्पर अन्तर्विभागीय अन्तर्जिला संविलियन के प्रावधान है ।

3/ शासन के उल्लेखित आदेश/ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदकों के द्वारा परस्पर/महिला अन्तर्विभागीय अन्तर्जिला संविलियन हेतु संबंधित दोनों निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त है। प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है :-

| स.क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था | कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक | संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम | अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. आदेश की प्रति | संविलियन किये जाने की विभागीय अनुशंसा |
|--------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री मुलायम सिंह पाल सहायक अध्यापक शा. शाला बालक आश्रम बाग जिला-शाजापुर (स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित) | जनपद पंचायत शुजालपुर जिला-शाजापुर जा.क्र.1094,दि.16.06.08 | जनपद पंचायत बाग जिला-धार जा.क्र.1666,दि.16.06.08 शा. प्रावि भीमपुरा | शिक्षाकर्मों से सहा.अध्या. संवर्ग में संविलियन हुआ है । | अन्तर्जिला पारस्परिक संविलियन की पात्रता है । |
| 2 | श्री शकरसिंह सोलंकी सहायक अध्यापक शा. प्रावि भीमपुरा जिला-धार (आ.जा.क.वि.द्वारा संचालित) | जनपद पंचायत बाग जिला-धार जा.क्र.1666,दि.16.06.08 | जनपद पंचायत शुजालपुर जिला-शाजापुर जा.क्र.1094,दि.16.06.08 शा. शाला बालक आश्रम बाग | शिक्षाकर्मों से सहा.अध्या. संवर्ग में संविलियन हुआ है । | |

me

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 3 | श्रीमती अनिता मेडा सहायक अध्यापक शा. मावि बासाहेडा खुर्द जिला-गुना | जनपद पंचायत गुना जिला-गुना जा क्र.800,दि.11.08.08 | जनपद पंचायत राजापूर जिला-झाबुआ जा क्र.2561,दि.14.08.08 शा. क. प्रावि मवडी शा. क.प्रावि दौतड़ शा. बा. प्रावि कुन्दनपुर | संविदा से सहा.अध्या. संवर्ग में नियुक्ति है । | आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्था में संविलियन हेतु । |
|---|---|---|--|--|--|


अतः उपर्युक्त आवेदकों को परस्पर/महिला अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति हेतु विभागीय अनुमति/सहमति की अनुशंसा करते हुये प्राप्त आवेदन-पत्रों को आपकी ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूलतः प्रेषित है ।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :- उपरोक्तानुसार आवेदन-पत्र ।

पृष्ठां.क्र. शि.क./एडी/परस्पर/अजिनि संवि./78/2008/ 254
प्रतिलिपि :-

1. जिला-कलेक्टर, शाजापुर, धार, गुना एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत शाजापुर, धार, गुना एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, शाजापुर, धार, गुना एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
4. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।
5. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, जिला-शाजापुर, धार, गुना एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29/9/08


उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./56/2008/ 255

भोपाल, दिनांक 29/9/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


| स.क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था | कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक | संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम |
|--------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती अर्चना चौरसिया अध्यापक शा.क.मावि आदेगांव जिला-सिवनी | जनपद पंचायत लखनादौन जिला-सिवनी जा.क्र. निरंक दि. 26.05.07 | जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा जा.क्र.679, दि. 26.08.08 शा.मा.शाला इटावा शा. हाईस्कूल उमरिया ईसरा शा. हाईस्कूल चारगांव प्रहलाद |

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही कार्यरत निकाय द्वारा कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आएराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


29/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29/9/08

पृष्ठा. क्र०/शि.क./एडी/अजिनि संवि./56/2008/ 256

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
 3. जिला-कलेक्टर,, सिवनी एवं छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश ।
 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी एवं छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश ।
 5. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी एवं छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश ।
 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनादौन, जिला-सिवनी मध्यप्रदेश ।
 7. संबंधित संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित श्रीमती अर्चना चौरसिया, अध्यापक, शा. क. मावि आदेगांव, जिला-सिवनी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।


29/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/सी/संवि./०८४/२००८/२३७

भोपाल, दिनांक-२७-९-०८

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ १-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र | अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक) | कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक | संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | श्रीमति राजकिशोरी तिकी अध्यापक मा.शा. खुटला कलां जिला खंडवा | जिला पंचायत पूर्व निमाड खंडवा जिला खंडवा जा. कं. ७४६१ दि. ३१.१०.०७ | जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा. कं. ७३१० दि. ११.०६.०८ शासकीय हाई स्कूल कछौवा |
| 2 | श्रीमति विभा त्रिपाठी अध्यापक शा.पूर्व मा.वि. डमक जिला सीधी | जनपद पंचायत सिंहावल जिला सीधी जा. कं १५१७ दि. ११.०७.०८ | जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र. १३७ दि. १८.०७.०८ शाहाईस्कूल लासा |
| 3 | श्रीमति अनामिका श्रीवास्तव सहायक अध्यापक शा.कन्या.उ.मा.वि. बैडन जिला सीधी | नगर पालिका निगम सिंगरौली जिला सिंगरौली जा.क्र. १०५८५ दि. २२.०३.०८ | नगर पंचायत रामपुर नैकिन जिला सीधी जा. कं ३४७ दि. २८.०७.०८ शा.उ.मा.वि. रामपुर नैकिन |
| 4 | श्रीमति संगीता सोनी अध्यापक शा.मा.शाला गर्सोली जिला टीकमगढ़ | जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा. कं ३०२० दि. २५.०७.०८ | जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा. कं १९०७ दि. २४.०७.०८ शा.हाईस्कूल देरी |
| 5 | श्री भिखारीलाल बहेलिया सहा.अध्यापक (विकलांग) शा.पूर्व मा. वि. बरूआ जिला शहडोल | जनपद पंचायत गोहपारु जिला शहडोल जावक क. ७९१ दि. १२-०६-०८ | -जनपद पंचायत विजयराधव गड जिला कटनी जावक क. २३७७ दि. ३-०९-०८ शा. मा.शाला बरेहठा |

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

MA

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


27/9/08


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 27-9-08

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/सी/संवि./084/2008/ 238
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक, सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


27/9/08

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश